संसदीय कार्य मंत्रालय

प्रेस विज्ञप्ति

1. संसद का शीतकालीन सत्र, 2021 जो सोमवार, 29 नवंबर, 2021 से आरंभ हुआ था और गुरूवार, 23 दिसंबर, 2021 को स्थगित किया जाना नियत था, बुधवार, 22 दिसंबर, 2021 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। आवश्यक सरकारी कार्य पूरा हो जाने पर सत्र को नियत तारीख से एक दिन पहले समाप्त किया गया। सत्र के दौरान 24 दिनों की अवधि में कुल 18 बैठकें हुई।

2. सत्र के दौरान, 13 विधेयक (12 विधेयक लोक सभा में और 1 विधेयक राज्य सभा में) पुर:स्थापित किए गए। संसद के दोनों सदनों द्वारा 11 विधेयक पारित किए गए जिनमें 2021-22 की अनुपूरक अनुदान मांगों से संबंधित एक विनियोग विधेयक भी शामिल है जिसे लोक सभा द्वारा पारित किया गया तथा राज्य सभा में भेजा गया था और इसे अनुच्छेद 109(5) के तहत 14 दिनों की समाप्ति पर दोनों सदनों द्वारा पारित किया हुआ माना जाएगा। **संसद के दोनों सदनों में पुर:स्थापित और पारित किए गए विधेयकों की सूची अनुबंध के रूप में संलग्न है।**

3. राष्ट्रपति द्वारा शीतकालीन सत्र से पहले प्रख्यापित किए गए तीन अध्यादेशों अर्थात केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का 9), दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का 10) और स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का 8) को प्रतिस्थापित करने वाले तीन विधेयकों पर दोनों सदनों द्वारा विचार किया गया और पारित किया गया।

4. एक विधेयक अर्थात जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021 दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेजा गया और पांच विधेयकों को स्थायी समितियों के पास भेजा जा रहा है।

5. तीन अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने वाले विधेयकों सहित कुछ अन्य महत्वपूर्ण विधेयक, जिन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया, निम्न प्रकार हैं:-

(i) **कृषि विधि निरसन विधेयक, 2021** किसानों के एक समूह के विरोध को देखते हुए और भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में सभी को समावेशी प्रगति और विकास के पथ पर ले जाने के उद्देश्य से, किसानों के समग्र विकास हेतु सितंबर, 2020 में संसद द्वारा पारित किए गए तीन कृषि कानूनों अर्थात कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020 तथा आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 को निरस्त करने के लिए यह विधेयक पुर:स्थापित और पारित किया गया।

(ii) **बांध संरक्षा विधेयक, 2021** बांध विफलता से संबंधित आपदाओं की रोकथाम के लिए निर्दिष्ट बांध की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव का उपबंध और उनका सुरक्षित कार्यचालन सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्र और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए।

(iii) **सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2021** सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिकों और सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी बैंकों के विनियमन और पर्यवेक्षण, दुरुपयोग की रोकथाम, सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी सेवाओं की सुरक्षित और नैतिक प्रक्रिया और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड, राज्य बोर्डों और राष्ट्रीय रजिस्ट्री की स्थापना करने के लिए।

(iv) **सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2021** देश में सरोगेसी सेवाओं को विनियमित करने, सरोगेट माताओं के संभावित शोषण पर रोक लगाने और सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए।

(v) **राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2021** यह स्पष्टता लाने के लिए कि स्थापित संस्थान और राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम के तहत स्थापित किए जाने वाले अन्य समान संस्थान राष्ट्रीय महत्व के संस्थान होंगे और औषध शिक्षा और अनुसंधान का समन्वित विकास और मानकों आदि का अनुरक्षण सुनिश्चित करने हेतु एक केंद्रीय निकाय, जिसे परिषद कहा जाएगा, की स्थापना करने के लिए और ऐसे प्रत्येक संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को युक्तिसंगत बनाने के लिए और ऐसे संस्थानों द्वारा चलाए जाने वाले पाठ्यक्रमों के दायरे और संख्या को व्यापक बनाने के लिए।

(vi) **उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021** एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पेंशन की अतिरिक्त मात्रा का लाभ उस महीने के पहले दिन से प्रदान करने के लिए जिसमें वह वेतनमान के पहले कॉलम में निर्दिष्ट आयु पूरी करता है, न कि उसमें निर्दिष्ट आयु में प्रवेश करने के पहले दिन से, जैसे कि उच्च न्यायालयों द्वारा व्याख्या की गई है।

(vii) **स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2021** एनडीपीएस अधिनियम की सही व्याख्या और कार्यान्वयन की दृष्टि से, धारा 27क में 'खंड (viiiक)' के स्थान पर 'खंड (viiiख)' को प्रतिस्थापित करके अधिनियम की धारा 27क में विसंगति को दूर करने के लिए।

(viii) **दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2021** लोक हित में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक के कार्यकाल में, प्रारंभिक नियुक्ति में उल्लिखित अवधि को मिलाकर कुल पांच वर्ष पूरे होने तक एक समय पर एक वर्ष तक की अवधि के विस्तार का उपबंध करने के लिए।

(ix) **केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021** लोक हित में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के कार्यकाल में, प्रारंभिक नियुक्ति में उल्लिखित अवधि को मिलाकर कुल पांच वर्ष पूरे होने तक एक समय पर एक वर्ष तक की अवधि के विस्तार का उपबंध करने के लिए।

(x) **निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021** विभिन्न स्थानों पर एक ही व्यक्ति के एकाधिक नामांकन के खतरे को रोकने के लिए मतदाता सूची डेटा को आधार पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ने का उपबंध करने के लिए।

6. लोक सभा में, नियम 193 के तहत निम्नलिखित विषयों पर दो अल्पावधि चर्चाएं हुई:-

(i) कोविड-19 महामारी और इससे संबंधित विभिन्न पहलु; और

(ii) जलवायु परिवर्तन

राज्य सभा में, देश में कोविड-19 के ओमीक्रॉन वेरिएंट के मामलों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की हुई।

7. लोक सभा की उत्पादकता लगभग 82**%** व राज्य सभा की उत्पादकता लगभग 48**%** रही।

अनुबंध

सत्रहवीं लोक सभा के सातवें सत्र और राज्य सभा के 255वें सत्र (शीतकालीन सत्र, 2021) के दौरान निष्पादित विधायी कार्य

I. लोक सभा में पुर:स्थापित किए गए विधेयक

1. कृषि विधि निरसन विधेयक, 2021
2. उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021
3. केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021
4. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2021
5. स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2021
6. जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021
7. राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, 2021
8. वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021
9. चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल और कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2021
10. विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2021
11. निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021
12. बाल विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2021

II. राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया विधेयक

1. मध्यकता विधेयक, 2021

III. लोक सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. कृषि विधि निरसन विधेयक, 2021
2. सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2020
3. राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2021
4. उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021
5. केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021
6. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2021
7. स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2021
8. विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2021
9. निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021
   * बांध संरक्षा विधेयक, 2019
   * सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019

* राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों को लोक सभा द्वारा स्वीकार किया गया।

IV. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए/लौटाए गए विधेयक

1. कृषि विधि निरसन विधेयक, 2021
2. बांध संरक्षा विधेयक, 2019
3. सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2021
4. सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2020
5. राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2021
6. उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021
7. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2021
8. केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021
9. स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2021
10. *विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2021
11. निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021

V. संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. कृषि विधि निरसन विधेयक, 2021
2. बांध संरक्षा विधेयक, 2021
3. सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2021
4. सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2021
5. राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2021
6. *विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2021
7. उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021
8. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2021
9. केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021
10. स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2021
11. निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021

****

*पारित किया हुआ माना जाएगा।